

18-3-19 वकील वादी उपस्थित। गरीब वाद
का विवर्तन का शर्तिका पत्र पेश किया
शामिल मिसल हो। वादी वाद का अर्थ नहीं
खलना चाहते हैं तथा विवर्तन करते हैं। अतः वाद
वादी जरिये विवर्तन रगारिज किया जाता है।
पत्रावली फंशल शुभार होकर दाखल इफ्तार हो।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणो (जोधपुर) राज.

राम मोराराम
पहचान देता